


THE MODEL CODE OF CONDUCT BYE-ELECTION 2021



Ajay Aswal, RAS

R-6

UNIVERSAL'S
NEW DELHI - INDIA

ATA Y ASWA
FREE Update for 3 months
www.unilawonline.com/bareacts

The Representation of the People Act, 1950

(43 of 1950)

and

The Representation of the People Act, 1951

(43 of 1951)

*as amended by the Representation of the People
(Amendment and Validation) Act, 2013 (29 of 2013)*

with

- The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) *as amended by the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2013 (28 of 2013)*
- The Registration of Electors Rules, 1960 *as amended by (Amendment) Rules, 2013*
- The Conduct of Elections Rules, 1961 *as amended by (Amendment) Rules, 2013*
- Maximum Limit of Election Expenses in Parliamentary and Assembly Constituencies (w.e.f. 28-2-2014)
- Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates

2016
BARE ACT
WITH SHORT NOTES

Price ₹ 295





सत्यमेव जयते

Compendium of Instructions On Model Code of Conduct



Election Commission of India
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
New Delhi-110001



Manual on Model Code of Conduct

**(For the guidance of political parties and candidates)
& other related guidelines**

March, 2019

Document 21 - Edition 1



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
"No voter to be left behind"

सिविल लाइंस से 4 किमी पहले रोके वाहन



भास्कर न्यूज | जयपुर

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के 44वें जन्मदिन पर जयपुर में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। सुबह से लेकर शाम तक पायलट समर्थकों के सिविल लाइंस बंगले पर आने का सिलसिला चलता रहा।

44 किलो का लड्डू का केक तैयार करवाया। पायलट ने बाहर आकर दिन भर समर्थकों से मुलाकात की।

वहीं प्रदेश भर में पायलट समर्थकों ने कई कार्यक्रम किए। जिलों में सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए। उनके समर्थक पिछले दो

पायलट ने सबसे पहले खोले के खोले के हनुमानजी मंदिर जाकर पूजा की। इसके बाद शिव मंदिर और अन्य मंदिरों में जाकर दर्शन किए। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं प्रदेश भर में समर्थक पौधरोपण कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में हजार पौधों के हिसाब से पूरे प्रदेश में 40 लाख पौधों लगाए जा सकेंगे।

वर्ष आने का सिलसिला चलता रहा।
समर्थकों के सिविल लाइंस बंगले

बनारस गार्ड। उनका समर्थक मिलने का
जन्मदिन का बधाई देने वाले पोस्टर

किया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में
कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में

‘रोडवेज बचाओ संघर्ष समिति का गठन’

जयपुर | राजस्थान रोडवेज में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ एवं इंटक से संबंधित दो प्रमुख श्रम संगठन परिवहन फेडरेशन एवं राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मंगलवार को साझा प्रेस वार्ता की। दोनों श्रम संगठनों ने अपनी प्रमुख मांगों के समाधान के लिए रोडवेज में चक्काजाम हड़ताल के विकल्प को छोड़कर धरना/प्रदर्शन/रैली एवं अन्य आंदोलन के विकल्प का चयन कर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की रणनीति बनाई है। ‘रोडवेज बचाओ संघर्ष समिति’ का गठन किया गया है।

भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि सरकार का लगभग पौने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी रोडवेजकर्मियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री देवकरण चौधरी,



परिवहन फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री महेश चतुर्वेदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा निगमकर्मियों को सांतवा वेतनमान, पूर्व में बकाया 25 प्रतिशत डीए का आदेश करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सितम्बर 2016 से बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभो का भुगतान करने सहित कई मांगें रखीं। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसिंह देवड़ा, सेवानिवृत्त संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महामंत्री मुरारी लाल शर्मा, फेडरेशन प्रभारी वरुण तिवाड़ी, प्रदेश अध्यक्ष नत्थूसिंह राठौड़, सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीगोपाल शर्मा, इंटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनोद जौहरी एवं फेडरेशन के मीडिया प्रभारी प्रकाश शर्मा मौजूद रहे।

शिव
सेति
मि

जयपुर
टर्मिन
के प
लोके
रेस्पॉ
610
स्व
विव
एवं
एक
इन्वे
है।
गुण
रहा
20
देने
बुवि
लि
अ
दैन

और आगामी वोट दकर सबक सखाया हा

अफसरों को गृह जिले में पोस्टिंग नहीं करने का नया सर्कुलर जारी

जयपुर | कार्मिक विभाग ने फील्ड पोस्टिंग वाले अफसरों को गृह जिले में नहीं लगाए जाने को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। उस स्थान को स्थायी माना जायेगा जो कर्मचारी या अधिकारी की सेवा पुस्तिका में अंकित किया हो। गृह जिले और निवास स्थान के पते में हो रही गफलत को लेकर भी कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है। सेवा पुस्तिका में अंकित निवास स्थान को ही गृह जिला माना जाएगा। उन्होंने कहा कि राजसेवक की सेवा पुस्तिका में निवास स्थान की जानकारी भरने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। फील्ड में तैनात अफसरों को गृह जिले में लगाए जाने को लेकर शिकायतें मिलती रहती है। ऐसे में फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों को पोस्टिंग को किये जाते समय इनके गृह जिले का विशेष ध्यान रखा जाए। फील्ड में तैनात एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक को पदस्थापित किए जाएं तो उन्हें गृह जिले को छोड़कर पदस्थापित किए जाएं।

400 applications under PMAY rejected citing landline telephone connections

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: Applications for free housing under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) of over 400 families belonging to Sahariya and Gadiya Lohar tribes in Baran district have been rejected by the local administration saying that they possess landline phones.

A local NGO has challenged the report of the local administration by stating that 90% of families are living in shanties and don't have a power connection, let alone phones. The



Picture for representation only

have verified most of the applicants to learn that they do not possess any movable assets. "In

the roadside with no basic facilities," said Patel.

The matter came to light after the applications of all identified beneficiaries were rejected by the local administration in August third week. The families were informed by their gram panchayat. The applicants for the scheme are recommended by their respective gram panchayats (GPs).

It is scrutinised by the sarpanch and pradhan before it is sent to the zila parishad. The rejected applicants are from over 40 GPs.

The rejection has dashed the dreams of beneficiaries

application is filed manually, the process of scrutinising the application is online. The form is linked with aadhaar card and whether the family owns any of the items that debar them from the scheme is done automatically. It appears that the rejection was made due to some technical error."

Krishna Shukla, CEO, zila parishad, told TOI that the concerned officials have been told to revise the applications. "The changes in the application can be made in the list once the revised list is prepared," said Shukla.

Under the PMAY, the

Slight rise in Covid cases, 12 test positive in state



TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: In all, 12 Covid cases were reported in Rajasthan on Tuesday, slightly higher than Monday's infections. Jaipur, Ajmer and Ganganager reported three cases each, Pali (2) and Udaipur (1). In the last 24 hours, 18 patients recovered from the ailment with Jaipur topping with seven.

Apart from the five districts, no person tested positive in any of the other districts. Out of 1,38,87,772 samples received in the state, 9,54,149 tested positive. Currently, there are 80 active cases.

With no deaths were reported due to Covid on Tuesday, the cumulative fatalities stood at 8,954.

Altogether 9,45,115 persons have also recovered

STATE COVID UPDATE		Total Deaths 	
 Total cases 9,54,149	New infections 12	8,954	
	In Jaipur 3	1,970 In Jaipur	
		Tuesday's casualties 0	
Recovered on Tuesday 18 (7 in Jaipur)	Recovered so far 9,45,115	Sample received 1,38,87,772	Active Cases 80

from the virus since it first hit the state in March 2020.

On Tuesday, 2,14,000 vaccines — 1,23,489 first doses and 90,511 second — were administered taking the total number administered since January 16 to 4,72,78,706.

Rajasthan received 6,02,450 Covishield vaccines on Tuesday, which was distributed in the districts. The

central government has given 4,35,99,080 vaccines so far for health and frontline workers as well as for persons aged 45+.

For persons between 18-44 years, the state has been given 30,53,720 doses. This comprises both Covishield, which was administered in 110 centres, and Covaxin that was given in 18 centres.

Police plan to remove squatters from footpaths along busy roads

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: City police is planning to remove squatters from footpaths and pavements alongside stretches of busy roads to avert mishaps.

There are several stretches alongside important roads like JLN Marg and Sehkar Marg where people live preciously close to roads and risk being hit by a vehicle.

Talking to TOI, additional commissioner of police (crime) Ajay Pal Lamba said police were currently involved in a major operation to rehabilitate beggars. Once

Picture for representation only



Officials worry that living close to busy roads can lead to mishaps

the operation is completed, cops will search for people who eke out a living on footpaths and make efforts to rehabilitate them.

"Traffic police will be ro-

ped in to ensure that if someone is dwelling near roads, they could be shifted to another safer location so that they could carry on with their livelihood," Lamba said.

For over several months, Lamba and his team had been involved in making multiple strategies to make the city free of beggars.

He said footpath dwellers is also an important issue for which the work is underway.

There are multiple locations in the city including near Jyoti Nagar and stretches of Tonk road where people live on the road. Offici-

als worry that living so close to busy roads can lead to mishaps.

"Someone can fall off the pavement and run over by the speeding vehicle. Especially during night," an official said.

Meanwhile, city police said they would make arrangements for such dwellers, taking into account their livelihood.

Several teams of city police had been conducting surveys of homeless and beggars across the city. They now have an exhaustive database that may be used for footpath dwellers too.

पीटीईटी परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा



जयपुर | पीटीईटी-2021 की परीक्षा के लिए बुधवार को साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा ने सभी मुख्य प्रबंधकों को पाबंद किया है कि 8 सितंबर को साधारण और एक्सप्रेस बसों में मंगलवार रात 12 बजे से गुरुवार देर रात तक परीक्षार्थियों को आने-जाने की सुविधा प्रवेश पत्र के आधार पर मुफ्त दी जाएगी। उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क सहित कोविड गाइडलाइंस की पालना सख्ती से करनी होगी।

जलजीवन मिशन

बिना अनुमति टंकी का निर्माण, तीन इंजीनियर पर गिरी गाज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
petrikb.com

जयपुर प्रदेश में जलदाय विभाग के अधीन चल रहे 15 हजार करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन में अनियमितताओं पर जलदाय इंजीनियर्स पर गाज गिरना शुरू हो गई है। ठेकरा फर्म के द्वारा बिना अनुमति पानी की टंकी का निर्माण करने जैसी गंभीर अनियमिता पर मंगलवार को पहली गाज जयपुर जिला वृत्त ग्रामीण-तृतीय में तैनात अधिशाषी अभियंता योगेन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता दीपेश कुमार चौधरी व कनिष्ठ अभियंता युधिष्ठिर मीणा को

एपीओ कर दिया है। जल जीवन मिशन के तहत दूदू के 13 गांव व ढाणियों में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियां बननी थी। निर्माता फर्म ने बिना अनुमति के टंकी का निर्माण कर लिया। लेकिन योगेन्द्र सिंह, दीपेश कुमार व युधिष्ठिर मीणा टंकी निर्माण तक चुप्पी साधे बैठे रहे। मामला जलदाय मंत्री बीडी कल्ला और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास पहुंचा। कई महीनों तक चली जांच में सामने आया कि फर्म ने तीनों इंजीनियर्स से मिलीभगत कर बिना अनुमति के ही टंकी का निर्माण कर लिया था।

यूपीएससी की तर्ज पर **चयन बोर्ड का भर्ती कैलेंडर जारी**

चयन बोर्ड फरवरी तक कराएगा आठ बड़ी भर्ती परीक्षाएं, इनमें 50 लाख आवेदन संभव

जयपुर | यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत सितंबर 2022 तक 8 बड़ी भर्ती परीक्षाएं होंगी। इनके आयोजन की तिथि या महीना घोषित किया गया है। कई भर्तियों के लिए तो आवेदन प्रक्रिया चल रही है तो कुछ के लिए शुरू होने वाली है। इन सभी भर्तियों में 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने पहली बार एक साथ इतनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है।

इन 4 परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी

भर्ती	पद
जेईएन सिविल डिग्रीधारी	533
कृषि पर्यवेक्षक भर्ती	2389
पटवारी भर्ती	5378
स्टेनोग्राफर भर्ती II	1085

• प्रक्रिया जारी : फायरमैन व सहायक अग्निशमन अधिकारी के 629 पदों के लिए आवेदन 16 सितंबर तक। संगणक के 250 पदों के लिए 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आवेदन।

कैलेंडर : इन 4 भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित

कृषि अभियंता सिविल डिग्री संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा	12 सितंबर
कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2021	18 सितंबर
पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019	23-24 अक्टूबर
शीघ्र लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 (फेज 2)	29 से 31 अक्टूबर

इन भर्ती परीक्षाओं के आयोजन का महीना घोषित | पढ़ें राजस्थान पेज

हाईकोर्ट का सवाल... डॉक्टर का ट्रांसफर कैसे निरस्त कर सकता है निर्वाचन आयोग

जयपुर | हाईकोर्ट ने एक डॉक्टर के ट्रांसफर को निरस्त करने के मामले में निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए पूछा है कि आयोग ट्रांसफर को कैसे निरस्त कर सकता है। वहीं अदालत ने आयोग द्वारा प्रार्थी के ट्रांसफर निरस्त करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस अरूण भंसाली ने यह निर्देश डॉ. नटवर कुमार स्वर्णकार की याचिका पर दिया। अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने बताया कि चिकित्सा विभाग ने 14 अगस्त को प्रार्थी का ट्रांसफर सवाई माधोपुर से जयपुर किया था। प्रार्थी ने जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेकर कार्यभार भी संभाल लिया, लेकिन 17 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए प्रार्थी सहित 340 अन्य चिकित्सकों के ट्रांसफर निरस्त कर दिए।

डेढ़ लाख की आबादी होगी लाभान्वित

165 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना का शिलान्यास आज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार जयपुर शहर के लिए बनी 165 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना बुधवार को धरातल पर उतरेगी।

हवामहल विधायक महेश जोशी बुधवार को इस परियोजना को पूरा करने के लिए बनाए गए

आठ पैकेज में से तीन पैकेज के तहत स्वीकृत कार्यों का शुभारंभ करेंगे। उत्तर सर्कल एसई अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि पैकेज के तहत बेनीवाल बाग में 20 लाख लीटर का स्वच्छ जलाशय, ब्रह्मपुरी पीएचईडी कार्यालय परिसर में 20 लाख लीटर का उच्च जलाशय, 50 लाख लीटर का स्वच्छ जलाशय, सेंट्रीफ्यूगल पंप

बदलने का कार्य, परियोजना के तहत ही इन क्षेत्रों में पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए 9 किलोमीटर से ज्यादा की फीडर मैन पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

इस परियोजना के पूरा होने के बाद ब्रह्मपुरी, गोविंद नगर, गुर्जर घाटी व आसपास के क्षेत्रों में रह रही डेढ़ लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

भुगतान नहीं मिला तो काम बंद करेंगे पीडब्ल्यूडी ठेकेदार

जयपुर | पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने भुगतान नहीं करने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। ठेकेदारों की पीडब्ल्यूडी पर दो साल से करीब 1300 करोड़ से अधिक की राशि बकाया चल रही है। ठेकेदार दो साल से बकाया राशि का भुगतान करने को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने करीब 400 करोड़ का तो भुगतान कर दिया, लेकिन करीब 300 करोड़ रुपए अब भी बकाया चल रहे हैं। यह राशि सिविल, इलेक्ट्रिक सहित अन्य एसोसिएशन की है। राजस्थान वर्क कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष राम सिंह ने बताया कि सिविल वर्क का पीडब्ल्यूडी पर करीब 1100 करोड़ से अधिक की राशि बकाया चल रही है। भुगतान नहीं होने से ठेकेदारों की हालत खराब है। परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है।

8 से 31 मार्च तक हजार युवा दौड़ें

जिला प्रशासन सहित 17 विभागों
के अधिकारी और कर्मचारियों
को सौंपी गई है जिम्मेदारी

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

सेना में भर्ती के लिए तीन जिले जयपुर, सीकर व टोंक के 70 हजार युवा भाग लेंगे। भर्ती 8 से 31 मार्च तक आमेर कुंडा में सीआईएसएफ के ग्राउंड पर होगी। प्रतिदिन लगभग तीन हजार युवा भर्ती के लिए दौड़ में भाग लेंगे। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिला प्रशासन की ओर से एडीएम साउथ शंकर सैनी व सेना भर्ती के लिए पूरी व्यवस्था का जिम्मेदारी सौंपी है। भर्ती के दौरान जिला प्रशासन व सेना सहित 17 विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को व्यवस्थाएं संभालेंगे।

मेडिकल डॉक्टरों की निराश्रित



मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का हाल: बेरोजगारी बढ़ी, सरकार की तय सीमा वही कोरोना में छिनी रोजी, भत्ते के इंतजार में 2.16

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की रोजी-रोटी छिन गई है। ऐसे में रोजगार विभाग ने जितने बेरोजगारों को भत्ता जारी किया है, उससे कहीं अधिक तो भत्ते के इंतजार में खड़े हैं।

जुलाई के बाद भी एक लाख रहेंगे कतार में

तय सीमा से अधिक आवेदन आने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापित कर प्रक्रिया रोक ली जाती है। ऐसे में भत्ता ले चुके बेरोजगारों के निर्धारित दो साल पूरे होने पर भत्ता बंद कर दिया जाता है। इसके बाद प्रतीक्षारत दूसरे



अब तक जारी राशि



बेरोजगारों की बारी आती है। विभाग के अनुसार 2 साल पहले दिए गए भत्ते की अवधि जुलाई तक पूरी होगी। ऐसे में लम्बित 2.16 लाख में से एक लाख आवेदनों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

शिक्षा के हब, वहीं सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार

सीकर	23444
नागौर	15230
जोधपुर	14280
झुंझुनूं	10604
जयपुर	13671
दौसा	19226
भरतपुर	16233
अलवर	23063

यह है मौजूदा स्थिति

1.60 लाख बेरोजगारों को भत्ता जारी करती है सरकार हर साल

419 करोड़ रुपये बेरोजगारों को दिए हैं सरकार ने वर्ष 2020-21 में 19 फरवरी तक

2.16 लाख बेरोजगारों को भत्ते का इंतजार है वर्तमान में, लेकिन सरकार की ओर से सीमा तय होने के कारण मिल रही निराशा

(प्रतीक्षारत बेरोजगारों के आवेदन सत्यापित कर लिए गए हैं लेकिन प्रक्रिया अटकी हुई है)

01 ज
हुई त
रखा म
रुपए
01
बदल
दिए
प्रि
ल

उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोच में बदलाव कर बनाए थे क्वॉरंटीन कोच

No. ECI/PN/77/202

Dated: 04.09.2021

PRESS NOTE

Subject: Schedule to fill casual vacancy and adjourned poll in the Assembly Constituencies - regarding

The Commission vide press note No. ECI/PN/61/2021 dated 3rd May 2021 deferred the adjourned poll (which was scheduled to be held on 16.05.2021) and extended the period of elections in 110-Pipli Assembly Constituency (AC) of Odisha and 58-Jangipur & 56-Samserganj AC of West Bengal after taking note of lockdown/restrictions under Disaster Management Act, 2005, as issued by NDMA/SDMA. Further, the Commission vide press note No. ECI/PN/64/2021 dated 5th May 2021 deferred the bye-elections in various States/UT, after taking all material facts and inputs of Chief Electoral Officers of various States/UT in view of the pandemic.

2. As on date there are three deferred adjourned polls (two in the state of West Bengal and one in the state of Odisha), three vacancies in Parliamentary Constituencies and 32 vacancies in Legislative Assemblies of various States/UT.

3. In order to assess the feasibility of holding bye-elections in various States/UT, a meeting was held through video conferencing on 01.09.2021 with Chief Secretaries, senior officers from the department of Health & Home Affairs, DGPs from the concerned States/UT and Chief Electoral Officers from concerned States/UT. The Chief Secretaries/Chief Electoral

Bengal, it has decided to hold bye-election in 159-Bhabanipur AC. Much stricter norms have been kept by the Commission as an abundant caution to safeguard from COVID-19 pandemic. **The schedule for the bye-election is attached at Annexure-1.**

8. Further, the Commission has also decided to hold polls in 3 Assembly Constituencies namely **56-Samserganj, 58- Jangipur of West Bengal and 1 Assembly Constituency 110-Pipli of Odisha** where the adjourned poll was deferred vide Commission's notification 4th May, 2021, as per the schedule given in **Annexure- 2**. Separate notifications are being issued in this regard.

The candidates/political parties for these 3 ACs have already availed the campaign period from 29.04.2021 to 03.05.2021. In view of this, **the Commission has now decided to allow the campaign from 20.09.2021 only in these constituencies.**

9. ELECTORAL ROLL

The published Electoral Rolls for the aforesaid Assembly Constituencies w.r.t **01.01.2021** will be used for these elections.

10. ELECTRONIC VOTING MACHINES (EVMs) and VVPATs

The Commission has decided to use EVMs and VVPATs in the bye-election in all the polling stations. Adequate numbers of EVMs and VVPATs have been made available and all steps have been taken to ensure that the polls are conducted smoothly with the help of these machines.

11. IDENTIFICATION OF VOTERS

Electoral Photo Identity cards (EPIC) shall be the main document of identification of a voter. However, any of the below mentioned identification documents can also be shown at the polling station:

- i. Aadhar Card,
- ii. MNREGA Job Card,
- iii. Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,
- iv. Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,
- v. Driving License,
- vi. PAN Card,
- vii. Smart Card issued by RGI under NPR,
- viii. Indian Passport,
- ix. Pension document with photograph,
- x. Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies, and
- xi. Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.

12. MODEL CODE OF CONDUCT

The Model code of conduct shall come into force with immediate effect from **04.09.2021** onwards in the district(s) in which the whole or any part of the Assembly constituency going for election is included, subject to partial modification as issued vide Commission' s instruction No. 437/6/1NST/2016-CCS,

12. **MODEL CODE OF CONDUCT**

The Model code of conduct shall come into force with immediate effect from **04.09.2021** onwards in the district(s) in which the whole or any part of the Assembly constituency going for election is included, subject to partial modification as issued vide Commission' s instruction No. 437/6/1NST/2016-CCS, dated 29th June, 2017 (available on the commission's website).

13. BROAD GUIDELINES TO BE FOLLOWED DURING THE CONDUCT OF BYE-ELECTIONS /ADJOURNED POLL DURING the period of COVID-19

The Commission has issued broad guidelines on 21st August, 2020. Also, it has issued further guidelines on 09.10.2020, 09.04.2021,16.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021 and 28.04.2021 available on Commission's website eci.gov.in or link <https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/>. Also, vide letter No.40-3/2020-DM-I(A) dated 28th August, 2021, instructions for implementation of targeted and prompt actions for COVID management has been extended by MHA up to 30th September, 2021. After taking inputs from the political parties/Chief Electoral Officers and keeping the extant instructions of MHA/MoHFW in view, the Commission has further strengthened these guidelines. Further, the Commission's all instructions relating to conduct of General Election in West Bengal during the COVID-19 period shall also be *mutatis mutandis* applicable for these bye-elections/adjourned poll.

All stake holders shall abide by these instructions. State Government concerned shall take all appropriate actions/measures in compliance to these instructions as follows.

1	Nominatio n	During Pre and post nomination procession, public meeting prohibited / Only three vehicles permitted within a periphery of 100 meters of RO's office. No procession for nomination shall be permitted.
---	------------------------	--

2	Campaign period	
	(a) Meeting for	
	(i) Indoor -	30% of allowed capacity or 200 persons, whichever is less. A register will be maintained to count the number of people attending the meeting. -
	(ii) Outdoor -	With 50% of capacity (as per Covid-19 guidelines) or 1000 in the case of Star Campaigners and 50% of the capacity or 500 in all other cases. In either case, the allowed number is whichever is less. The entire area will be cordoned off and will be guarded by the police. The count of people entering the ground will be monitored. Expenditure for the cordoning/barricading will be borne by the candidate/party. Only those grounds which are cordoned/barricaded completely will be used for rallies.
	(b) Star Campaigners	Number of Star Campaigners restricted to 20 for these bye-elections for National /State recognized parties and 10 for un-

		recognized registered parties in the wake of the Covid-19 pandemic.
	(c) Road show	No Roadshow shall be allowed and No Motor/Bike/Cycle rallies to be allowed
	(d) Street corner meeting	Maximum 50 persons shall be allowed (Subject to availability of space and compliance to COVID-19 guidelines.)
	(e) Door to door campaign	Door to door campaign with 5 persons including candidates/their representatives.
	(f) Campaign through video van	Not more than 50 audiences shall be allowed in one cluster point subject to availability of space and compliance to covid guidelines.
	(g) Use of vehicles for campaign	Total vehicles allowed for a candidate/political party (excluding Star Campaigner):- 20 Maximum no. of persons allowed per vehicle 50% of the capacity.

3	Silence period	The silence period is 72 hours before the end of poll.
4	Poll day activities	1. Maximum 2 vehicles with 3 persons each shall be allowed. Security as per the applicable extant guidelines. 2. Poll day activity on polling station as per E.C.I guidelines.
5	Counting day	DEOs to take appropriate measures to prevent crowding. Social distancing and other COVID safety protocols to be strictly adhered to at all the times during counting.

6. All such activities will be strictly complied as per the Covid-19 guidelines issued by competent authorities. Social distancing and use of mask, sanitizers, thermal scanning, face shield, hand gloves, etc., as per COVID-19 protocol, have to be complied with. SDMA is responsible for all preventive and mitigation measures to ensure adherence to COVID protocol. Chief Secretary and DG and district level authorities will be responsible for monitoring, supervision and compliance of covid-19 guidelines.

7. If a candidate or political party violates any of the above guidelines, no more permission shall be given to the concerned candidate/party for rallies, meetings etc. If any star campaigner violates the COVID protocols, he shall not be allowed to campaign further in that

8. All polling personnel and election officials including the private persons engaged in the election duty shall be **double vaccinated** before taking their services.

9. Candidate/election agent/polling agent counting agent/driver etc. whoever is coming in contact with the public or election officials have to be **double vaccinated**.

10. One health worker to be appointed as COVID nodal officer for each Polling Station.

11. CS/DG and concerned DMs/SPs shall take enough preventive measures and make necessary arrangements to ensure that no poll related violence occurs during pre and post poll.

12. In the light of advisory issued by the Health Ministry of GoI, ECL will keep a close watch on the evolving situation and may further tighten the guidelines for the upcoming elections.

Annexure -1

Schedule for bye-election in 159- Bhabanipur AC in West Bengal

Poll Events	Date and Day
Date of Issue of Gazette Notification	06.09.2021, Monday

process. The Election Commission has considered the issue and in partial modification directed that in case the constituency going to bye-election is comprised in the state capital/metropolitan city/municipal corporation, Model Code would be applicable in the particular assembly constituency segment only and not in the whole of the district. In all other cases, Model Code would be enforced in the entire district(s) covering the constituency going for bye-election(s).

20.2.2 In case of bye-elections to the Lok Sabha/State Legislative Assemblies, Model Code will cease to be in operation immediately after the formal declaration of the result of the bye-election by the Returning Officer concerned.

20.3.6 The ministers have been permitted to take one non-gazetted official to accompany them during their private visits to attend to urgent official work.

20.3.7 The Election Commission has further laid down that the Chief Electoral Officer of the state shall be kept informed, in advance, of visits proposed to be undertaken by any minister(s) of the State or Central government to the district where bye-election is being held, by the District Election Officer. The Chief Electoral Officer shall forthwith communicate the same to the Election Commission.

20.4 Announcement of New Schemes/Projects

- 20.4.1 No work shall start, in respect of which, work orders may have been issued but the work has actually not started in the field. These works can start only after completion of election process. However, if a work has actually started, that can continue.
- 20.4.2 The schemes which have been cleared and funds provided/released and materials procured and reached the site, may be executed as per programme.
- 20.4.3 There shall be no bar to release of payments for completed work(s) subject to the full satisfaction of the concerned officials.
- 20.4.4 No fresh release of funds for any schemes, in operation under MPLAD (including Rajya Sabha members)/MLALAD/ MLCLAD shall be made, till the completion of election process.

“No voter to be left behind”

the districts where the bye-election is being conducted.

20.7 Removal of References of Ministers from Official Websites

The Election Commission's existing instructions relating to general election provide that during the period when Model Code is in force, all references to ministers/politicians/political parties on concerned state/central government's official websites, shall be taken off/ purged of. During bye-elections, these instructions may be confined to only those politicians/ministers who themselves are contesting such bye- elections.

20.8 Restriction on Promises/Statements on Religious/Communal Ground

20.8.1 It has come to the notice of the Election Commission that during the bye-elections, the party in power or the sitting MPs/MLAs tend to make promises/appeals on religious/communal grounds in those parts of the districts/areas in their State where Model Code is not in operation so as to avoid the violation of Model Code. This has, however, indeed far reaching implications as it would certainly influence the minds of electors of the Assembly Constituency/Parliamentary Constituency where the bye election(s) is going on and, thus, vitiate the free and fair elections in that constituency(ies).

20.8.2 The Election Commission has directed that as soon as bye- election(s) to any Assembly Constituency/Parliamentary Constituency is announced in a State, the Chief Electoral Officer concerned shall issue an advisory to all the recognized political parties in the State/UT to request their Ministers and sitting MPs/MLAs not to make promises/statements on religious or communal ground, even in those areas where Model Code is not in force so that the purity of election process is maintained and no ill feeling is generated among the general public.

CEO
advisory

(i) **Bye-election to the Assembly Constituency (ies):**

(A) No officer connected directly with the conduct of Bye-elections, should be allowed to continue in the present posting within the Assembly Constituency limits:-

(a) If she/he is posted in her/his home Assembly Constituency limit;

(b) If she/he has completed three years during last four years or would be completing 3 years on or before the last day of the sixth month from the date of occurrence of the casual vacancy.

(B) Such officers shall be shifted out of the Assembly Constituency limit.

(a) These instructions cover Returning Officers and Assistant Returning Officers of the Assembly Constituencies going for bye-elections. These instructions will also cover other officers viz. Deputy/ Assistant Collectors, Sub-Divisional Magistrates, Tehsildars and Block Development Officers located in Assembly Constituency limits. It is however clarified that officers appointed as Sector Officers, though directly involved in election duties will not be covered under these instructions as they are deployed in field duties where their knowledge of the area/ terrain is crucial to effective performance of their duties. The Chief Electoral Officer, District Election Officer and Returning Officer should however, keep a close watch on them during the election period to ensure that their performance is strictly impartial.

(b) As far as officers in the **Police Department** are concerned, these instructions shall be applicable to the Sub-Divisional Head of Police, Dy.SPs/Circle Officers, Inspectors, Sub-Inspectors or equivalent ranks posted in the field within the Assembly

20.9.3 The Election Commission has in the past received complaints that while the State Government transfers officials in the above categories, in pursuance of the direction issued by the Election Commission, the individuals try to circumvent the objective by proceeding on leave and physically not moving out of the district from which they stand transferred. The Election Commission has viewed this seriously and desired that all such officials who stand transferred in pursuance of the instructions referred to above shall be asked to move physically out of the district from which they stand transferred immediately on receipt of the transfer orders.

20.9.4 Any officer, who is due to retire within the next six months, will be exempted from the purview of the above-mentioned directions of the Election Commission. Further, officers falling in category (home/3+ criteria) shall not be engaged for performing election duties during the elections, if they are due to retire within 6 months.

TRAINING PROGRAMME



CVIGIL



cVIGIL

Election Commission of India

Enter your mobile no.

Send OTP

OR

Anonymous

By using this application, you agree to the terms of service and privacy policy of cVIGIL



cVIGIL
Election Commission of India



Welcome Anonymous 



Not Logged in. Sending as Anonymous (You will not receive any status updates for anonymous complaints).

[CLICK HERE TO LOG IN](#)

शुद्धज्ञानम्भुज्ज ष्ट च्फन्ज्ज - |

म्ळत्तळ्ळर्ज्ञ शुन्छैश्ज्ञ

- × राजस्थान: प्रेस नोट दिनांक 06/10/2018
- × कर्नाटक: प्रेस नोट दिनांक 27/03/2018
- × गुजरात: प्रेस नोट दिनांक 25/10/2017
- × गौवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी
- × दिनांक 04/03/2016 को प्रेस नोट
- × तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, पुडुचेरी और असम के विधानसभा
- × चुनावी रोल: आंकड़े एवं स्वास्थ्य
- × ईपीआईसी प्रतिशत
- × फोटो मतदाता पर्ची: 7 दिन, बिना पर्ची के
- × मतदान केंद्रों पर ए.एम.एफ.
- × वोटिंग कम्पार्टमेंट्स
- × महिला/डीए/ब्लाइंड/कुष्ठ रोग पीड़ित

शुद्धज्ञानम्भुजं च चक्रं - ॥

मूर्त्तयश्च शुद्धे

- × NOTA प्रतीक
- × मतपत्र तस्वीरें
- × शपथ पत्र: कोई कॉलम खाली नहीं
- × कम नेटवर्क वाले क्षेत्र
- × वीडियोग्राफी/वेबकास्टिंग
- × अग्रिम CAPFs
- × वाहन की अनुमति

नवीनतम दिशा-निर्देश

- ✘ उप चुनाव में MCC का क्षेत्र 14/10/2019, 18/01/2018, 29/06/2017
- ✘ धनराशि जारी करना 28/12/2017, 26/04/2012
- ✘ वीवीपेट/फोटो आईडी: 10/11/17
- ✘ कोई एक्जिट पोल नहीं : 07/11/17
- ✘ अशक्त मतदाता: 23/1/17
- ✘ फॉर्म 7 में चुनाव लड़ने की तस्वीर: 18/10/17
- ✘ 1400 मतदाता VVPAT: 17/10/2017
- ✘ ईवीएम परिवहन: 30/08/17
- ✘ अनुग्रह राशि: 17/01/17
- ✘ PwDs : 19/01/17
- ✘ 2° / 4° Sat, नामांकन पत्र: 29/12/16
- ✘ VABs; फोटो मतदाता पर्ची: 26/12/16
- ✘ सीएपीएफ/एसएपी मानदेय: 14/09/16

मूळत्वांर्ज्ञ छशज्ञज्ञ-अर्छैशज्ञ

- ✘ अतिरिक्त शपथ पत्र: 13/11/13
- ✘ शपथ पत्र: 31/05/16
- ✘ फोटो मतदाता पर्ची: 11/01/16
- ✘ MCC / घोषणापत्र: 24/04/15
- ✘ ईवीएम स्टोरेज/सीसीटीवी कैमरे: 10/07/2015
- ✘ अमिट स्याही: 23/03/15
- ✘ PO डायरी में बदलाव: 16/02/15
- ✘ मतदान दिवस विज्ञापन: 14/05/16

आदर्श आचार संहिता (MCC)

1

Objective of MCC

2

Why MCC

3

Broad Areas of Application

4

MCC applicable to officials

5

MCC & Ban on transfer of officials

6

MCC for Ministers/Chairmen/ Members of Commissions

7

MCC for political parties/candidates

8

MCC - Dos & Don'ts for Political Parties/Candidates

9

MCC for Use of Official Vehicles

10

MCC for State/Central Govt

11

FAQ on MCC

MCC पर सामग्री को उन
उपयोगकर्ताओं / निर्णयकर्ताओं के आधार पर
रखा गया है जो MCC के प्रासंगिक
प्रावधान से प्रभावित हैं


1: MCC का उद्देश्य

- ✘ जिस दिन ECI आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता है उसी दिन से MCC परिचालन में आ जाता है
- ✘ सचारु चुनाव के संचालन के लिए अनेकल और शांतिपूर्ण माहौल बनीए रखने के लिए विकसित किया गया
- ✘ इसके अलावा, सभी दलों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।




2: MCC के पीछे तर्क




- ✘ आदर्श आचार संहिता का प्रत्यक्ष और कठोर प्रवर्तन चुनावों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और हितधारकों/मतदाताओं का विश्वास जगाता है।
- ✘ यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग न हो।
- ✘ यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी अपराध, दुराचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं का प्रतिरूपण उन्हें रिश्वत या प्रलोभन देना, परेशान करना और प्रेरित करना, मतदाताओं को धमकी और डराना, सभी तरीकों से रोका जाता है।



3 : लड़ाई कश्नै वै प्फरख्ख क्षत्र

- ✘ कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्यों का निष्पादन।
- ✘ कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्यों पर प्रचार/अभियान।
- ✘ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापन।
- ✘ रेस्ट हाउस, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवास का उपयोग।
- ✘ मंत्रियों/राजनीतिक पदाधिकारियों के दौरे के बारे में प्रावधान।
- ✘ सरकारी विमान/वाहनों का उपयोग
- ✘ लाउडस्पीकर का उपयोग।
- ✘ पर्चे, पोस्टर की छपाई और अन्य मीडिया गतिविधियाँ ।



- ✘ बाद की सभी स्लाइड्स को तीन अलग-अलग रंगों में तैयार किया गया है
 - + हरा 
 - + नीला 
 - + बैंगनी 
- ✘ हरा रंग चुनाव पूर्व कार्यों/निर्देशों को इंगित करता है
- ✘ नीला रंग पोल-डे टास्क/निर्देशों को इंगित करता है
- ✘ बैंगनी रंग चुनाव के बाद के कार्य / निर्देशों को इंगित करता है

आदर्श आचार संहिता (MCC)

4

MCC applicable to officials

4/1: अधिकारियों के लिए आदर्श आचार संहिता

कोई भी अधिकारी जो किसी मंत्री से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान मिलता है, जहां चुनाव हो रहे हैं, संबंधित सेवा नियमों के तहत कदाचार का दोषी होगा; और अगर वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 (1) में उल्लिखित एक अधिकारी होता है, तो उसे उस धारा के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने और इसके तहत प्रदान की गई दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा।

4/2: अधिकारियों के लिए आदर्श आचार संहिता

चुनावों की घोषणा के बाद और जिस तारीख से राज्य अथवा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए।

(संकलन क्रमांक संख्या 29 of compendium Vol.-3.ECI letter No.437/6/ 2004-PLN dt.30.12.2004)

18.03.2014: आपदा (मीडिया नहीं / रिकार्डिंग करें / CEO के प्रतिनिधि रहे)

4/3: अधिकारियों के लिए आदर्श आचार संहिता

उन अधिकारियों के दौरे / छुट्टी पर प्रतिबंध है जिनके पति या पत्नी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे मामलों में, संबंधित अधिकारियों को अपने मुख्यालय को छुट्टी पर या दौरे पर नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि चुनाव पूरा न हो जाए

(संकलन क्रमांक संख्या. 9, EC letter No.437/6/98-PLN-III दिनांक 23.01.1998)

20.6 Publication of Advertisements

- 20.6.1 It is observed that the governments of the day publish advertisements of various kinds, including advertisements on their accomplishments and achievements. Such advertisements are often released on special occasions such as Republic Day, Independence Day, birthdays of prominent leaders, anniversary of government etc. On such occasions, if bye-elections are in progress, the issue of Model Code comes into question. It is not technically possible to block such advertisements, especially in the print media, in the specific areas covered under Model Code, while publishing it in the other places.
- 20.6.2 The Election Commission has considered the issue and taking into account all aspects of the matter, directed that release/publishing of advertisements at the cost of public exchequer during the period of operation of Model Code in bye-elections will be regulated as follows:-
- (i) An advertisement of general nature in connection with specific occasions of importance may be published, however, the same shall be restricted to the dates coinciding with the said occasion only, and it shall not be published on other days. The advertisement shall not bear photograph of any Minister or other political functionaries.
 - (ii) No advertisement having a specific/pointed reference or connotation to the areas covered by the constituencies going to bye-election shall be released/published on any date during the period.
 - (iii) Further, it is clarified that no new schemes should be advertised in

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/Instructions/2014/EEPS/Vol.I

Dated: 06.03.2014

To

The Chief Electoral Officers of
All States/UTs.


Sub: Modified Standard Operating Procedure for Flying Squads and Static
Surveillance Teams - Regarding

Sir/Madam,

I am directed to invite your kind attention to the subject cited and to say that the Commission has withdrawn the Standard Operating Procedure (SOP) issued vide Commission's order dated 21.03.2013, mentioned as Annex-73 of 'The Compendium of Election Expenditure Monitoring (January 2014)'. In supersession of the said order dated 21.03.2013, the Modified Standard Operating Procedure vide Commission's order of even number dated 06.03.2014 for the Flying Squads and Static Surveillance Teams (copy enclosed) shall come into force with immediate effect.

यह परिपत्र उड़न दस्तों, इत्यादि की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

आदर्श आचार संहिता (MCC)



5/1: स्थानान्तरण पर प्रतिबंध के लिए आदर्श आचार संहिता

चुनाव के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इनमें निम्न शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं-

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी;
- संभागीय आयुक्त

5/2: स्थानांतरण पर प्रतिबंध के लिए आदर्श आचार संहिता

Learning Module for RO/AROs 06-10-2021

जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और चुनाव संचालन से जुड़े राजस्व के अन्य अधिकारी;

पुलिस विभाग के अधिकारी, रेंज आईजी और डीआईजी जैसे चुनाव प्रबंधन से जुड़े हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, उप-विभागीय स्तर के पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 ए के तहत आयोग में प्रतिनियुक्त हैं।

5/3: स्थानांतरण पर प्रतिबंध के लिए आदर्श आचार संहिता

चुनाव अधिकारी जैसे सेक्टर और जोनल अधिकारी, ट्रांसपोर्ट सेल, ईवीएम सेल, पोल मैटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रिब्यूशन सेल, ट्रेनिंग सेल, प्रिंटिंग सेल आदि के लिए काम करने वाले अन्य अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी, जिनकी राज्य में चुनाव प्रबंधन में भूमिका होती है, को भी इस द्वारा कवर किया गया है।

घोषणा की तारीख से पहले अधिकारियों की उपरोक्त श्रेणियों के संबंध में जारी किए गए स्थानांतरण आदेश, लेकिन उस समय तक लागू नहीं किए गए हो को मॉडल कोड के प्रभावी हो जाता जाने पर, उन्हें आयोग से विशिष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए।

5/4: स्थानांतरण पर प्रतिबंध के लिए आदर्श आचार संहिता

उन मामलों में जहां प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर एक अधिकारी के स्थानांतरण को आवश्यक माना जाता है, राज्य सरकार, पूर्ण औचित्य के साथ, पूर्व मंजूरी के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है।

आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना, इस अवधि के दौरान सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति या पदोन्नति नहीं की जाएगी।

5/5: स्थानांतरण पर प्रतिबंध के लिए आदर्श आचार संहिता

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग पर विभिन्न निर्देश

- अधिकारी को वर्तमान जिले में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात है या उस जिले में पिछले चार साल में से तीन साल पूरे कर चुका है।
- जिन अधिकारियों/कार्मिकों के खिलाफ आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है या जिन पर किसी भी चुनाव या चुनाव संबंधी कार्य में कोई चूक आरोपित है, उन्हें चुनाव संबंधी कोई कार्य नहीं सौंपा जा सकता है।
- आयोग यह इच्छा करता है कि कोई भी अधिकारी जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला कानून की अदालत में लंबित है, चुनाव कार्य या अन्य संबंधित कर्तव्य से जुड़ा न हो।

5/6: स्थानान्तरण पर प्रतिबंध के लिए आदर्श आचार संहिता

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों के स्थानान्तरण/पोस्टिंग पर विभिन्न निर्देश.

- मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों / अधिकारियों के संबंध में स्थानान्तरण आदेश मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही लागू किया जाएगा।
- इन निर्देशों के तहत जारी किए गए स्थानान्तरण आदेशों की प्रतियां संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बिना किसी देरी के दी जाएंगी।
- जो भी अधिकारी छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है, उसे आयोग के उपर्युक्त निर्देशों के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के सभी अधिकारी जो सेवा विस्तार पर हैं या विभिन्न क्षमताओं में पुनः कार्यरत हैं, वे सीईओ के कार्यालय के अलावा किसी भी चुनाव संबंधी कार्य से जुड़े नहीं होंगे।
(संकलन क्रमांक संख्या. 81 भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/2006/PLN- III दिनांक: 06th November, 2006)

5/7: स्थानांतरण पर प्रतिबंध के लिए आदर्श आचार संहिता

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों के स्थानांतरण/पोस्टिंग पर विभिन्न निर्देश

- कट ऑफ डेट (रिक्ति से छह माह)
- कार्यात्मक पुलिस विभाग, संबंधित विभाग का मुख्यालय नहीं
- पदोन्नति की अवधि गिनें
- भौतिक रूप से बाहर निकालना हैं
- सीईओ स्तर पर
- प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। (98 / 21.02.2014)
- सेक्टर अधिकारी
- उपचुनाव (99 / 16.08.2014)
- (संकलन क्रमांक संख्या. 97, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक . 437/6/1/2014-CC&BE दिनांक: 09th Jan, 2014)

आदर्श आचार संहिता (MCC)

6
MCC for
Ministers/Chairmen
/Members of
Commissions

6/1: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की आधिकारिक यात्रा चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक नहीं करेगा जहाँ ECI द्वारा चुनाव की घोषणा की गई है।

चुनाव प्रक्रिया चलने तक कोई भी मंत्री निर्वाचन क्षेत्र के या राज्य के किसी भी चुनाव अधिकारी को किसी स्थान या कार्यालय या अतिथि गृह में नहीं बुलाएगा।

(संकलन क्रमांक संख्या. 56, भारत निर्वाचन आयोग पत्र क्रमांक 437/6/96/PLN-III दिनांक 17/01/1996)

6/2: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

अपवाद: कानून और व्यवस्था की विफलता या प्राकृतिक आपदा की घटना के मामले में, जो पर्यवेक्षण / समीक्षा / राहत के लिए किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होती है, वह संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में, या मुख्यमंत्री किसी निर्वाचन क्षेत्र की आधिकारिक यात्रा कर सकते हैं और निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी निर्वाचन संबंधी अधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर बुला सकते हैं।

(संकलन क्रमांक संख्या. 75, Col-2011, भारत निर्वाचन आयोग पत्र क्रमांक 437/6/2007-PLN-III, दिनांक 23/11/2007)

6/3: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

मंत्री द्वारा चुनावी बैठक के दौरान राजनैतिक तौर पर (सरकारी मशीनरी द्वारा नहीं) किए जाने वाले सभी इंतजाम का खर्चा निजी तौर पर वहन किया जाएगा (कानून व्यवस्था बनाए रखने के खर्चे को छोड़कर)

नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए और अपने निर्वाचन क्षेत्र की बाढ़ की मंत्री की यात्रा को चुनाव प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए।

(अनुबंध -1, परिपत्र पत्र की प्रति 10/17/89- M & G, दिनांक 1 नवंबर, 1989)

6/4: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

किसी भी परिस्थिति में, मंत्रियों की राजनीतिक या व्यक्तिगत यात्राओं को आम चुनाव और उपचुनाव के दौरान भारत में किसी अन्य स्थान पर आधिकारिक यात्राओं के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

आधिकारिक कार्य के लिए यात्रा करने वाले मंत्री को उस निर्वाचन क्षेत्र या जिले में नहीं रुकना चाहिए जहां आदर्श आचार संहिता लागू हो और साथ ही वह किसी भी राजनीतिक कार्य में शामिल न हों

(संकलन क्रमांक संख्या. 57, भारत निर्वाचन आयोग पत्र क्रमांक 437/6/7/2004 / PLN-III, दिनांक 28/12/2007)

(संकलन क्रमांक संख्या. 75, Col-2011, भारत निर्वाचन आयोग पत्र क्रमांक.437/6/7/2004/PLN-III, Dated 23/11/2007)

6/5: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

कोई भी केंद्रीय मंत्री / राज्य मंत्री या राजनैतिक पदाधिकारी/पूर्व-सांसदों में कोई किसी भी स्थान पर जहां वह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं या चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण नहीं करेंगे।

केंद्रीय मंत्री / राज्य मंत्री "सद्भावना दिवस" के उत्सव में भाग ले सकते हैं लेकिन उनके भाषण केवल सौहार्द को बढ़ावा देने तक ही सीमित रहने चाहिए।

(संकलन क्रमांक संख्या. 7, भारत निर्वाचन आयोग पत्र क्रमांक.437/6/99-PLN-III, दिनांक 16.08.1999)

6/6: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

कोई पायलट कार या किसी भी रंग की बीकन लाइट्स वाली कार या सायरन वाली कार जो कि उपस्थिति प्रमुखता से दर्शाती हो किसी भी मंत्री द्वारा चुनावी कार्य में काम में नहीं ली जाएगी।

(संकलन क्रमांक संख्या.. 75, Col-2011, भारत निर्वाचन आयोग पत्र—क्रमांक437/6/2007-PLN-III, Dated 23/11/2007)

6/7: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

- चुनाव के दौरान प्रचार, चुनाव, या चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- हेलीपैड लागत (19/06/15)
- पीएम छूट- कंबाइंड विजिट, पर्सनल स्टाफ (07/10/2014)
- BP कार (05/04/2011)
- स्टार प्रचारक उल्लंघन करता है (चुनाव सिंबल (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968.Para 16A। आदर्श आचार संहिता का पालन करने या कानून के निर्देशों और निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता निलंबित या वापस लेने की आयोग की शक्ति) 18/02/09

6/8: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

संघ या राज्य के किसी मंत्री द्वारा अपने निजी वाहन का उपयोग करते हुए प्रचार के लिए निजी दौरे करना अनुमत है।

यदि कोई केंद्रीय / राज्य मंत्री किसी आकस्मिक स्थिति में केवल सरकारी यात्रा कर रहा है, जिसे सार्वजनिक हित में टाला नहीं जा सकता है, तो इस आशय को प्रमाणित करने वाला एक पत्र संबंधित विभाग के सचिव द्वारा भेजा जाना चाहिए। राज्य के मुख्य सचिव को जहां मंत्री का दौरा करने का इरादा रखते हैं, जिसकी एक प्रति आयोग को भी दी जाएगी।

6/9: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

आकस्मिक स्थिति में दौरे के दौरान, मुख्य सचिव ऐसी आधिकारिक यात्रा के लिए मंत्री को सरकारी वाहन और आवास और अन्य सामान्य शिष्टाचार प्रदान कर सकते हैं

हालाँकि, इस तरह के आधिकारिक दौरे के तुरंत पहले या दौरान या निरन्तरता में किसी भी चुनाव अभियान या राजनीतिक गतिविधि को कोई भी मंत्री नहीं कर सकता है।

6/10: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्य के लिए आदर्श आचार संहिता

कोई मंत्री, चाहे वह संघ या राज्य के हो, चुनाव की घोषणा के साथ शुरू होने वाले चुनाव की अवधि के दौरान किसी भी शासकीय चर्चा के लिए निर्वाचन संबंधित अधिकारी को नहीं बुलाएगा।

अपवाद केवल तभी होगा जब कोई मंत्री, संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में अपनी क्षमता में हो, या कोई मुख्यमंत्री कानून-व्यवस्था की विफलता या प्राकृतिक आपदा या इस तरह के किसी आपात स्थिति के संबंध में किसी निर्वाचन क्षेत्र की आधिकारिक यात्रा करता हो।

6/11: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

मंत्री अपने आधिकारिक वाहनों का उपयोग केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय में आने वाले आधिकारिक कार्यों के लिए करने के लिए कर सकते हैं, बशर्ते कि इस तरह के आवागमन को किसी भी चुनावी या किसी भी राजनीतिक गतिविधि के साथ नहीं जोड़ा जाता है।

मंत्री, चाहे संघ या राज्य के हों, किसी भी तरह से अपने आधिकारिक दौरों में चुनाव कार्य के साथ सम्मिश्रण नहीं करेंगे।

6/12: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

किसी धार्मिक अवसर पर किसी भी आवभगत जैसे कि मंत्री द्वारा 'इफ्तार पार्टी' आदि का आयोजन सरकारी खर्च पर निषिद्ध

(संकलन क्रमांक संख्या..10, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक. ECI/GE98-437/6/BR/98-PLN-III दिनांक 27.01.1998

गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में कवि सम्मेलन, मुशायरा या अन्य सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने और केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए कि इस अवसर पर कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाए

(संकलन क्रमांक संख्या.. 5, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक. 437/6/98-PLN-III dated 10.01.1998)

6/13: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्य के लिए आदर्श आचार संहिता

आधिकारिक एजेंसियों और अन्य पेशेवर एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन की गई खतरों के अनुसार संघ और राज्य के मंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं को सुरक्षा अनुमत की जाएगी। बुलेट प्रूफ कारों और इन व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य सभी कारों पर खर्च संबंधित व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाएगा। हालाँकि, सुरक्षा कर्मचारियों पर व्यय संबंधित राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा।

(संकलन क्रमांक संख्या..63, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक.437/6/GUJ/98-PLN-III दिनांक 16.01.1998)

6/14: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्य के लिए आदर्श आचार संहिता

मंत्री और अन्य प्राधिकारी चुनाव से पूर्व विवेकाधीन कोष से अनुदान/भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकते

(संकलन क्रमांक संख्या..52, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक. 576/17/84 दिनांक 9/11/1984)


6/15: मंत्रियों / अध्यक्षों / आयोग के सदस्य के लिए आदर्श आचार संहिता

Learning Module for RO/AROs 06-10-2021

केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्थापित एससी/एसटी/सभी आयोगों के सदस्यों की आधिकारिक यात्रा जब तक स्थिति आकस्मिक या अपरिहार्य न हो, तब तक इसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

इस तरह की यात्रा के दौरान अध्यक्षों/सदस्यों को मंत्रियों/राजनेताओं से नहीं मिलना चाहिए और सार्वजनिक सुनवाई नहीं करनी चाहिए तथा जनता से नहीं मिलना चाहिए।

आदर्श आचार संहिता (MCC)



the districts where the bye-election is being conducted.

20.7 Removal of References of Ministers from Official Websites

The Election Commission's existing instructions relating to general election provide that during the period when Model Code is in force, all references to ministers/politicians/political parties on concerned state/central government's official websites, shall be taken off/ purged of. During bye-elections, these instructions may be confined to only those politicians/ministers who themselves are contesting such bye- elections.

20.8 Restriction on Promises/Statements on Religious/Communal Ground

20.8.1 It has come to the notice of the Election Commission that during the bye-elections, the party in power or the sitting MPs/MLAs tend to make promises/appeals on religious/communal grounds in those parts of the districts/areas in their State where Model Code is not in operation so as to avoid the violation of Model Code. This has, however, indeed far reaching implications as it would certainly influence the minds of electors of the Assembly Constituency/Parliamentary Constituency where the bye election(s) is going on and, thus, vitiate the free and fair elections in that constituency(ies).

CEO
advisory

20.8.2 The Election Commission has directed that as soon as bye- election(s) to any Assembly Constituency/Parliamentary Constituency is announced in a State, the Chief Electoral Officer concerned shall issue an advisory to all the recognized political parties in the State/UT to request their Ministers and sitting MPs/MLAs not to make promises/statements on religious or communal ground, even in those areas where Model Code is not in force so that the purity of election process is maintained and no ill feeling is generated among the general public.

20.9 Transfer/Postings of Government Officials

20.9.1 The Election Commission, in its task of conducting free and fair elections has followed the consistent policy to ensure that government officials, who are connected with the conduct of bye-election in the States, are not posted in their home constituency and the areas falling in the Assembly/ Parliamentary Constituency(ies) where they have served for long.

7/1: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच आपसी द्वेष पैदा कर सकता है या तनाव पैदा कर सकता है।

जब अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की जाती है, तो उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रहेंगे। पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से बचना होगा, जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं है। असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचा जाएगा।

वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं की कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

7/2: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

सभी दलों और उम्मीदवारों को सभी गतिविधियों पर "भ्रष्ट आचरण" और चुनाव कानून के तहत अपराध, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार नहीं कर सकते आदी पर रोक होगी। मतदान के समापन के लिए तय किए गए घंटे के साथ, समाप्त होने वाले 48 घंटे में सार्वजनिक सभा के आयोजन पर रोक रहेगी। मतदान केंद्र से और उसके लिए मतदाताओं के परिवहन और संप्रेषण पर रोक रहेगी।

शांतिपूर्ण निजी-जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, चाहे बहुत से राजनीतिक दल या उम्मीदवार उनके राजनीतिक विचारों या गतिविधियों से नाराज हो। किसी भी परिस्थिति में उनके विचारों या गतिविधियों के विरोध में प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्तियों के घरों के सामने प्रदर्शन या धरना का आयोजन नहीं किया जाएगा।

7/3: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को अपने या अपने अनुयायियों को ऐसे किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, मिश्रित दीवार आदि का उपयोग बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के ध्वज-स्तम्भ को खड़ा करने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि की अनुमति नहीं होगी।

राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में अवरोध पैदा न करें। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या सहानुभूति के सवाल किसी अन्य राजनीतिक पार्टी द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप में या अपनी ही पार्टी के पत्रक वितरित करके आयोजित सार्वजनिक बैठकों में गड़बड़ी पैदा नहीं करेंगे। जिन स्थानों पर बैठकें किसी अन्य पार्टी द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनके साथ दूसरी पार्टी द्वारा जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। एक पार्टी द्वारा जारी किए गए पोस्टर को किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा

7/4: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

सुरक्षा व्यवस्था पर किए गए खर्च जैसे बैरिकेडिंग / रोस्ट्रम्स आदि का खर्च संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी व्यक्ति की यात्रा के दौरान (प्रधानमंत्री सहित) चुनाव और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा।

(संकलन क्रमांक संख्या.. 55, भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437/6/ES0025/94/MCS दिनांक 21/10/1994)

7/5: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर टेलीकास्ट करने के लिए सभी विज्ञापन, मीडिया प्रमाणन के लिए निगरानी समिति द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। (MCMC)

विज्ञापन के प्रमाणन पर प्राप्त शिकायतों की सुनवाई के लिए सीईओ को अपने स्तर पर समिति का गठन करना भी आवश्यक है।

7/6: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

स्टार प्रचारक के अभियान को सावधानीपूर्वक ट्रैक किया जाना चाहिए

CEO और DEO को राजनीतिक दलों के प्रचारकों द्वारा किए जा रहे उल्लंघन के मामलों को ट्रैक करने के लिए पार्टी वार रजिस्टर बनाए रखना चाहिए।

रिकॉर्ड भी सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए ताकि इच्छुक पक्ष इनपुट ले सकें।

(संकलन क्रमांक संख्या 88, CoI-2011, आयोग का पत्र क्रमांक 437/6/inst/2008-CC&BE)

सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर आदि के लिए प्लास्टिक / पॉलिथीन के उपयोग से बचने की कोशिश करनी चाहिए।

(संकलन क्रमांक संख्या . 44, आयोग का पत्र क्रमांक . 4/3/2004/J.S.II/Vol.I, दिनांक 11.03.2004)

7/7: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

पार्टी मीटिंग प्रेस कांफ्रेंस और परामर्श जैसी किन्हीं भी राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्टेट गेस्ट हाउस, दिल्ली स्थित भवन और सदन का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

(संकलन क्रमांक संख्या. आयोग का पत्र क्रमांक 437/6/98-PLN-III दिनांक 08.01.1998))

7/8: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

यहां तक कि सरकारी स्वामित्व वाले गेस्टहाउस आदि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा अनौपचारिक बैठक की अनुमति भी नहीं है। (पुलिस अधिकारियों के लिए भी प्रासंगिक)

केवल उस व्यक्ति को ले जाने वाला वाहन जिसे गेस्ट हाउस में आवास आवंटित किया गया है (और दो से अधिक अन्य वाहन नहीं, यदि उस व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है) तो उसे गेस्ट हाउस के परिसर के अंदर अनुमति दी जाएगी (पुलिस अधिकारियों के लिए भी प्रासंगिक)

किसी भी एक व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक समय तक कमरे उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिए।

हालांकि, किसी विशेष क्षेत्र में मतदान के समापन से 48 घंटे पहले से मतदान या पुनर्मतदान पूरा होने तक ऐसे आवंटन पर रोक रहेगी।

संकलन क्रमांक संख्या. 72 of Col-2011, आयोग का पत्र क्रमांक 437 /6 /38 /2004-PLN-III, दिनांक 06.04.2004

7/9: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

सरकारी गेस्ट हाउसों में आवास ऐसे राजनीतिक पदाधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें Z + श्रेणी में राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, बशर्ते चुनाव से संबंधित अधिकारियों या पर्यवेक्षकों द्वारा इस तरह के आवास की आवश्यकता नहीं हो।

सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने के दौरान किन्हीं भी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(संकलन क्रमांक संख्या 73, of Col-2011आयोग पत्र क्रमांक 437/6/2006-PLN (Vol.II)


7/10: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए MCC

सरकारी आवास पर सत्ता में पार्टी या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होगा, इनका उपयोग निष्पक्ष तरीके से होगा।


कोई भी पार्टी या उम्मीदवार सरकारी आवास को चुनाव अभियान कार्यालय के रूप में उपयोग करने या चुनाव प्रचार के प्रयोजनों के लिए किसी भी सार्वजनिक बैठक आयोजित करने को अनुमत नहीं होगा।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पार्टी पदाधिकारी अभियान कार्यालय स्थापित करने के लिए सर्किट हाउस, डाक बंगले का उपयोग नहीं कर सकता है।

आदर्श आचार संहिता (MCC)



8
MCC for Dos &
Don'ts for
Pol.Parties/candidat
es



SUB LEARNING OBJECTIVE 10

DOS & DON'TS

आयोग ने चुनावों की घोषणा के बाद और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा DOs 'और' Don'ts 'की सूची तैयार की है।

Dos 'और' Don'ts 'की सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है और उपरोक्त विषयों पर अन्य विस्तृत निर्देशों / निर्देशों को प्रतिस्थापित या संशोधित करने का इरादा नहीं है, जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

8/1. DO'S

वह कार्यक्रम, जो वास्तव में चुनाव की घोषणा से पहले क्षेत्र में शुरू हो चुके हैं, चालू रह सकते हैं।

बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत और पुनर्वास के उपाय शुरू किए और जारी रह सकते हैं।

कानूनी रूप से या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नकद या चिकित्सा सुविधाओं का अनुदान उचित अनुमोदन के साथ जारी रख सकते हैं।

8/2. DO'S

सार्वजनिक स्थानों सभी दलों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होने चाहिए। इसलिए हेलिपैड का उपयोग सभी दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि को समान अवसर सुनिश्चित हो सके।

अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम से संबंधित ही होनी चाहिए।

8/3. DO'S

शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों को प्रस्तावित बैठकों के आयोजन स्थल और समय के बारे में पूरी जानकारी देनी और प्राप्त करनी होगी।

यदि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू होते हैं, तो उनका पूर्ण सम्मान किया जाएगा। छूट, यदि आवश्यक हो, समय रहते प्राप्त की जानी चाहिए।

8/4. DO'S

प्रस्तावित बैठकों के लिए पुलिस / सक्षम अधिकारियों से लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी।

बैठकों में गड़बड़ी करने वाले या अन्यथा विकार पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।

किसी भी जुल्स के शुरू होने का समय और स्थान, जिस मार्ग का अनुसरण किया जाना है और जिस समय और जिस स्थान पर जुल्स समाप्त होगा, उसे पुलिस / सक्षम अधिकारियों से निर्धारित करवा अग्रिम अनुमतियाँ प्राप्त करनी होंगी।

8/5. DO'S

ऐसे इलाकों में लागू होने वाले किसी भी प्रतिबंधात्मक आदेश का जिस इलाके के माध्यम से जुलूस गुजरना है, पूरी तरह से अनुपालन किया जाना चाहिए। साथ ही सभी यातायात नियम और अन्य प्रतिबंध भी।

जुलूस का मार्ग यातायात में बाधा रहित होना चाहिए।

शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनाव अधिकारियों को हर हर प्रकार का सहयोग देना होगा।

सभी वर्कर्स को बैज या पहचान पत्र प्रदर्शित करने होंगे।


8/7. DO'S

चुनाव के संचालन के बारे में कोई शिकायत या समस्या चुनाव आयोग/रिटनिंग ऑफिसर/जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के ध्यान में लाई जाएगी।


चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी, और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश/आदेश चुनाव के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में पालन किए जाएंगे।

यदि आप मतदाता या उस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार या उम्मीदवार के चुनाव एजेंट नहीं हैं, तो अभियान अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दें।


8/9. DON'TS



मतदाताओं के वंश/जाति/सांप्रदायिक/धार्मिक/भाषा भावनाओं के लिए अपील नहीं की जाएगी। (धारा 125, आरपी अधिनियम 1951)



कोई गतिविधि, जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी घृणा पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों या धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच तनाव का कारण बन सकती है, अनुमत नहीं होगी।



निजी जीवन के कोई भी पहलू, जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं की, अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं को आलोचना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


8/10. DON'TS




ऐसी गतिविधियाँ जो कानून के अनुसार भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराध हैं (रिश्वत, अनुचित प्रभाव, अवैध बैठक आदि) निषिद्ध हैं।



उनकी राय या गतिविधियों के विरोध हेतु ऐसे व्यक्तियों के घरों के सामने प्रदर्शन या धरना का सहारा नहीं लिया जाएगा।




असत्यापित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जाएगी।




मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों या किसी भी पूजा स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए भाषण, पोस्टर, संगीत आदि सहित चुनाव प्रचार के स्थानों के रूप में नहीं किया जाएगा।


8/11. DON'TS



स्थानीय कानूनों के अधीन, कोई भी किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार, वाहनों आदि का उपयोग नहीं कर सकता है, ध्वज स्तम्भ को खड़ा करने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने या स्वामी की विशिष्ट अनुमति के बिना नारे आदि लिखने के लिए।




अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी।
(धारा 127, आरपी अधिनियम 1951)




जिन स्थानों पर दूसरी पार्टी बैठकें कर रही है, उनके साथ जुलूस नहीं निकाले जाएंगे।


8/12. DON'TS



जुलूस वाले कोई भी वस्तु नहीं ले जाएंगे, जो मिसाइल या हथियार के रूप में दुरुपयोग करने में सक्षम हैं।



अन्य दलों और उम्मीदवारों द्वारा जारी किए गए पोस्टर को हटाया या विरूपित नहीं जाएगा।




पहचान के पर्चों के वितरण के लिए मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे के भीतर इस्तेमाल किए जाने वाले स्थान पर पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

8/13. DON'TS




लाउडस्पीकर चाहे स्थिर हो या चल रहे वाहनों पर, सुबह 6 बजे से पहले या रात 10 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और न ही संबंधित अधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना।




कोई भी व्यक्ति जिसकी सुरक्षा के मूल्यांकन के आधार पर उसे आधिकारिक सुरक्षा या स्वयं के लिए निजी सुरक्षा गार्ड हैं, को चुनाव एजेंट या पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

8/14. DON'TS



चुनाव के दौरान किसी भी रूप में शराब या रिश्वत का वितरण निषिद्ध है।




मतदान के दिन, किसी भी व्यक्ति को, जिसे सुरक्षा का खतरा होने का आंकलन से आधिकारिक सुरक्षा दी गई है, अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान केंद्र परिसर (100 मीटर के भीतर) के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।




यदि आधिकारिक सुरक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति मतदाता भी है, तो वह केवल मतदान करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ आ सकेगा।

2.



8/15. DO'S & DON'TS




प्रत्याशी नामांकन के समय अपने साथ दो से अधिक व्यक्तियों को नहीं ला सकता।




नामांकन के समय प्रत्याशी केवल दो वाहनों का प्रयोग कर सकता है।

आदर्श आचार संहिता (MCC)



9
MCC for Use of
Official Vehicles

9/1: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता



आधिकारिक वाहनों का उपयोग अभियान के काम के लिए नहीं किया जा सकता है। 'आधिकारिक वाहनों' में सरकारों से संबंधित सभी वाहन शामिल हैं।

9/2: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

Learning Module for RO/ABOs 06-10-2021

सुरक्षा द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों के संबंध में, विशेष व्यक्ति (पीपी) के लिए राज्य के स्वामित्व वाले एक बुलेट प्रूफ वाहन के उपयोग की अनुमति उन सभी मामलों में दी जाएगी, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह के उपयोग को निर्धारित किया है।

स्टैंड-बाय के नाम पर कई कारों के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि विशेष रूप से सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है।

ऐसे बुलेट प्रूफ वाहनों के संचालन की लागत, जहां बुलेट प्रूफ वाहनों का उपयोग निर्दिष्ट है, विशेष व्यक्ति या उसकी पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा चाहे वह कार्यालय में हो या बाहर, और वह उम्मीदवार है या नहीं

9/3: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

Learning Module for RO/ABOs 06-10-2021

गृह मंत्रालय में भारत सरकार के निर्देशों के तहत, Z + सुरक्षा कवर प्रदत्त व्यक्तियों को राज्य के स्वामित्व वाले एक बुलेट प्रूफ वाहन के उपयोग की अनुमति है।

(संकलन क्रमांक संख्या 92, Col-2011 आयोग पत्र क्रमांक 437/6/2007/PLN.III, दिनांक 24th October 2007)

9/4: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

पायलटों, एस्कॉर्ट्स सहित कारकेड के साथ जाने के लिए वाहनों की संख्या सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार कड़ाई से होगी और किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर 10 से अधिक नहीं होगी। (कोविड में पाँच)

सभी मामलों में जहां कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी कारण से एक निजी विमान / हेलीकाप्टर किराए पर लेता है, पूरी लागत को बिना किसी अपवाद के चुनाव खर्च के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।

वाहनों पर लगे अन्यथा, लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में सुरक्षा सहित किसी भी विषय पर कोई छूट प्रदान नहीं की जा सकती है।

(आयोग पत्र क्रमांक ए 437/6/INST/2010-CC&BE, दिनांक 05/10/2010)

9/5: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

सभी गैर-अनुसूचित उड़ानों के पूर्ण रिकॉर्ड को उचित अधिकारियों द्वारा कानून और प्रासंगिक नियमों के तहत संधारित करना होगा।

(संकलन क्रमांक संख्या 62 आयोग पत्र क्रमांक 437/6/98-PLN-III, दिनांक 18/08/1999)

(संकलन क्रमांक संख्या 63, आयोग पत्र क्रमांक 4/2001/J.S.II दिनांक 30/03/2001)

9/6: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

निजी या आधिकारिक दौरे पर सभी राजनीतिक पदाधिकारियों को उपयोग नहीं करना चाहिए

पायलट कार

किसी भी रंग की बीकन रोशनी के साथ कार

कार किसी भी प्रकार के सायरन के साथ

प्रतिबंध तब भी लागू होगा जब राज्य प्रशासन ने उसे सुरक्षा कवच प्रदान किया हो। चाहे वाहन सरकारी हो या निजी।

9/7: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

Learning Module for RO/AROs 06-10-2021

नामांकन भरने के दौरान

RO/ARO कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल दो वाहनों को अनुमति होगी। (Broad Guidelines for conduct of General Elections/Bye-Elections During Covid-19 Document No. 324.6.EPS.OT.001.2020)

9/8: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

चुनाव के दौरान

स्थानीय प्रशासन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखेगा।

सीईओ राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए वीडियो वैन के लिए परमिट जारी करेंगे।

साइकिल रिक्शा भी एक वाहन है, इसका खर्च उम्मीदवार के खाते में किया जाना चाहिए, यदि इसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है।

(संकलन क्रमांक संख्या 76, Col-2011 आयोग पत्र क्रमांक 437/6/2006-PLN-III, दिनांक 23/11/2007)

सुरक्षा वाहनों को छोड़कर काफिले के वाहन पाँच से अधिक नहीं होंगे।

(संकलन क्रमांक संख्या. 110, Col-2011, आयोग पत्र क्रमांक . 437/6/INST/2010-CC&BE, दिनांक 5/10/2010)

9/9: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

चुनाव की अधिसूचना की तारीख से लेकर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक, जिला प्रशासन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, और अन्य पार्टी नेताओं के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा किया जायेगा कि आयोग के निर्देशों की अवेहलना नहीं की जावे ।

यदि कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक वाहनों के काफिले में चलता है, तो काफिला टूट जाने के बावजूद, यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य होगा कि ऐसे वाहनों को चुनाव संपन्न होने तक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दें ।

9/10: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उन सभी वाहनों का विवरण डीईओ अथवा उनके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है जिनका वे चुनाव अभियान में उपयोग कर रहे हैं।

किसी भी अतिरिक्त वाहनों की कोई भी तैनाती केवल वाहनों की वास्तविक तैनाती से पहले उम्मीदवारों या उनके एजेंट द्वारा इस आशय की सूचना के बाद ही हो सकती है।

चुनाव अभियान के लिए जिन वाहनों को तैनात किया जा रहा है, उनके विवरण में उन क्षेत्रों के विवरण [तहसीलों] जिसमें वाहन संचालित होगा, से भी अवगत कराया जाना चाहिए।

9/11: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों को ऐसे विवरणों से सूचित किया जाना चाहिए।

प्रत्याशियों या उनके चुनाव एजेंटों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई सूचना के अनुसार चुनाव अभियान के लिए नियोजित वाहनों को प्रशासन द्वारा अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।

कोई भी वाहन जो अभियान के लिए उपयोग किए जाने पर जिला प्रशासन के साथ अभियान के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है, उम्मीदवार के लिए अनधिकृत माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX A के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है और इसलिए उसे तुरंत प्रचार अभियान से बाहर लिया जाना चाहिए।

(.संकलन क्रमांक संख्या 59आयोग पत्र क्रमांक 437/6/97-PLN-III दिनांक 18.03.1997)

9/12: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

एक राजनीतिक दल का कोई भी नेता मतदान और मतगणना के दिन मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की निगरानी और निगरानी के लिए निजी विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग नहीं करेगा।

(संकलन क्रमांक संख्या -64 आयोग पत्र क्रमांक. 4/2001/JS-II, दिनांक 08/05/2001)

9/14: आधिकारिक वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

मतदान के दौरान

मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए वाहनों को किराए पर लेना / खरीदना / उपयोग करना भ्रष्ट आचरण है।

प्रत्येक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, चुनाव एजेंट के लिए एक वाहन और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए अपनी पार्टी या कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन का हकदार होता है।

उपरोक्त संकेतित वाहनों के लिए परमिट डीएम / आरओ द्वारा जारी किया जाएगा और वाहनों पर चिपका होना चाहिए।

बिना परमिट के किसी भी वाहन को उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उम्मीदवारों/कार्यकर्ताओं/ दलों के लिए चार से अधिक पहियों वाले किसी भी वाहन की अनुमति नहीं होगी।

ड्राइवर सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदर्श आचार संहिता (MCC)



10/1: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC



10/2: राज्य/केंद्र सरकार के लिए MCC

किसी भी नीति, राजकोषीय उपायों, कराधान से संबंधित मुद्दों आदि के तहत राहत / लाभ की घोषणा के लिए आयोग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

प्रतिबंध नई योजनाओं और चल रही योजनाओं पर भी लागू होते हैं।

आरबीआई मौद्रिक नीति के मुद्दों पर निर्णय लेने जारी रख सकता है।

10/3: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

सरकारी एजेंसियों द्वारा काम जारी रखा जा सकता है।

जमीन पर शुरू हो
चुकी परियोजना
आवश्यक स्वीकृतियों
के उपरान्त

नरेगा के पंजीकृत
लाभार्थियों को मौजूदा
परियोजना के तहत कवर
किया जा सकता है।

पूर्ण कार्य/कार्य के भाग
के लिए फंड जारी करने
पर कोई रोक नहीं

10/4: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

सहायता राशि और आपदा के बाद की राहत प्रभावित व्यक्ति को सीधे राहत दी जा सकती है।

CM / PM राहत कोष से सीधे अस्पताल में भुगतान अनुमत होगा।

आयोग को सूचना देने के साथ आपातकालीन राहत कार्य किया जा सकता है।

प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए निवारक उपायों से संबंधित नया कार्य केवल आयोग की पूर्व अनुमति द्वारा लिया जा सकता है।

पीएम या सीएम राहत कोष से व्यक्तियों के समूह को किसी भी चुनिंदा सहायता के लिए आयोग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

10/5: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

गतिविधियों को आयोग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है-

विवेकाधीन कोष से नया काम

सार्वजनिक उपक्रमों के पुनरुद्धार का प्रस्ताव

किसी भी मौजूदा परियोजना / योजना / कार्यक्रम के कार्य के क्षेत्र में विस्तार

व्यक्तिगत या संगठन को भूमि आवंटन

एमओयू पर हस्ताक्षर

10/6: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

UPSC, SPSC या कर्मचारी चयन या अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती / नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है

कोई भी कार्य शुरू करते समय (राहत कार्य सहित) राजनीतिक पदाधिकारियों को शामिल कर कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा

(संकलन क्रमांक संख्या. 96, CoI-2011 आयोग पत्र क्रमांक. 437/6/2009/-CC&BE, दिनांक 5/03/2009)

10/7: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य उपयोगिता योजनाओं के मामले में, जिन्हें पहले से ही पूरा होने के चरण तक लाया गया है, सार्वजनिक हित में उनके उपयोग को रोका या देरी नहीं की जानी चाहिए।

ऐसी योजनाओं का प्रारम्भ नागरिक प्राधिकरण द्वारा और राजनीतिक पदाधिकारियों को शामिल किए बिना और किसी भी धूमधाम या समारोह के बिना किया जाना है।

10/8: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

सरकारी योजनाओं की कोई नई स्वीकृति नहीं

राजनीतिक कार्यकारी (मंत्रियों आदि) द्वारा योजनाओं की समीक्षा नहीं

कल्याणकारी योजनाओं पर कोई नई धनराशि जारी होगी

कार्यों का कोई अनुबंध नहीं

10/9: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

मॉडल कोड लागू होने से पहले कार्य आदेश जारी किए गए हैं, भले जहाँ वास्तव में काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके संबंध में कोई काम शुरू नहीं होगा। ये काम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू हो सकते हैं। हालांकि, अगर कोई काम वास्तव में शुरू हो गया है, तो वह जारी रह सकता है।

संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अधीन हो चुके कार्य के लिए भुगतान करने के लिए कोई रोक नहीं होगी।

(संकलन क्रमांक संख्या. 96, CoI-2011 आयोग पत्र क्रमांक 437/6/2009/-CC&BE, दिनांक 5/03/2009)

10/10: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

- ✘ आयोग निम्नांकित से निपटने के लिए योजनाओं के अनुमोदन से इनकार नहीं करता—

- आपात स्थिति
- अप्रत्याशित आपदा
- वृद्ध, दुर्बल आदि के लिए कल्याणकारी उपाय

परन्तु इन सभी मामलों में आयोग की पूर्वानुमति आवश्यक है।

- ✘ सभी दिखावटी कार्यक्रमों से बचा जाना चाहिए और किसी भी धारणा को नहीं बनाया जाना चाहिए या इसे बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि ऐसे कल्याणकारी उपाय या राहत और पुनर्वास कार्य सत्ताधारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं ताकि सत्ता में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित नहीं किया जा सके। साथ ही अन्य दलों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

10/11: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

मंत्री और अन्य प्राधिकारी चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन कोष से अनुदान / भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकते

(संकलन क्रमांक संख्या. 52 आयोग पत्र क्रमांक 576/17/84 दिनांक 9/11/1984)

10/12: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तपोषित संस्थानों को एमसीसी के लागू होने पर ऋण माफी नहीं करनी न ही वित्तीय सीमाएं बढ़ाकर अन्धाधुन्ध लोन दिए जा सकेंगे।

(संकलन क्रमांक संख्या. 12 of compendium Vol.-3. आयोग पत्र क्रमांक. 437/6/2002-PLN-III दिनांक 25.01.2002)

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सरकार / सिविल एजेंसियों द्वारा कोई तोड़फोड़ / निष्कासन अभियान नहीं चलाया जा सकता है।

(संकलन क्रमांक संख्या. 13 of compendium Vol.-3. आयोग पत्र क्रमांक. 437/6/3/2004-PLN-III दिनांक 19.02.2004)

यदि अदालत के आदेश के अनुसार इस तरह की तोड़फोड़ की जानी है तो मामले को पहले आयोग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

(संकलन क्रमांक संख्या.13 of compendium Vol.-3. आयोग पत्र क्रमांक. 437/6/3/2004-PLN-III दिनांक 19.02.2004)

10/13: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम की घोषणा तक राज्यों / निर्वाचन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार के पास जारी नहीं किए जाएँगे।

(संकलन क्रमांक संख्या. 2 आयोग पत्र क्रमांक. 437/6/93/J.S. II, दिनांक 31.12.1993)

सरकारी एजेंसियों द्वारा निविदाएं (तेंदू पत्ते आदि) तथा बड़ी नीलामियों पर प्रतिबन्ध

(संकलन क्रमांक संख्या.3, आयोग पत्र क्रमांक.434/6/PLN-III दिनांक 22.03.1996 ECI पत्र संख्या के साथ पढ़ें. 437/6/2009/ CC &BE दिनांक 24.03.2009)

10/14: राज्य / केंद्र सरकार के लिए MCC

सरकारी खर्च से लगे सभी होर्डिंग्स, विज्ञापनों आदि को अधिकारियों द्वारा हटा दिया जाएगा।

चुनाव अवधि के दौरान सरकारी खर्च पर अखबार और अन्य मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए।

(संकलन क्रमांक संख्या. 101, Col-2011, आयोग पत्र क्रमांक 437/6/INST/2008-CC&BE)

चुनाव से संबंधित कानूनी प्रावधान

कानून

1. भारतीय दंड संहिता
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
3. सीआरपीसी
4. विशेष और स्थानीय अधिनियम।

भारतीय दंड संहिता

संज्ञेय अपराध

- 171-डी निर्वाचनों में प्रतिरूपण
- 171-एफ निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड

गर-सजय अपराध

- **171-बी।** रिश्वत देना।
- **171-ई।** रिश्वत के लिए दण्ड।
- **171-सी।** निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना।
- **171-एफ।** निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड।
- **171-जी।** निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन।
- **171-एच।** निर्वाचन के संबंध में अवैध संदाय।
- **171-मैं।** निर्वाचन लेखा रखने में असफलता।

505. {1} (ग) इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास भारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो अथवा,

(घ) इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों के किसी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए;

लोक शिथलधुत अधिनियम, 1951 का प्रतिनिधित्व

123. भ्रष्ट आचरण - जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिकाओं में चुनौती दी जा सकती है। भ्रष्ट आचरण हैं: -

- रिश्वत
- असम्यक् असर डालना
- धर्म, जाति, जाति आदि के लिए जमीन पर अपील करें।
- विभिन्न वर्गों के बीच नफरत को बढ़ावा देना
- सती का प्रचार/गौरव
- कार्मिक कलेक्टर/किसी भी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में गलत बयान।
- इलेक्टरों के लिए वाहनों का उपयोग।
- धारा 77 के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना
- सरकार की सहायता लेना। नौकर।
- बूथ कैप्चरिंग।

लोक स्थितध्दज्ञत्त अधिनियम, 1951 का प्रतिनिधित्व

संज्ञेय अपराध

- **125.** निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना ।
- **127.** निर्वाचन सभाओ में उपद्रव।
- **129.** निर्वाचनों में ऑफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिये जाने में कोई असर डालेंगे ।
- **130.** मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध
- **132.** मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति ।

- **134.** निर्वाचन से ससक्त पदीय कर्तव्य के भंग।
- **134 बी मतदान केंद्र** में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध।
- **135. मतदान केंद्र से मतपत्रों को हटाना अपराध** होगा।
- **135 ए बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध।**
- **136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां।**

गैर-संज्ञेय अपराध

- 125 ए मिथ्या शपथपत्र आदि फाइल करने के लिए शास्ति।
- 126. मतदान के समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध।
- 127 ए पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन।
- 128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना।
- 131. मतदान केंद्रों में या उसके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति।

- 132 ए मतदान के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।
- 133. निर्वाचनों में प्रवहण के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति।
- 134- ए चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति।
- 135 बी मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी।
- 135- सी मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना।

छुण्ड प्रक्रिया संहिता

- 41. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी।
- 42. नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी।
- 107. अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति।
- 110. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।
- 116. इत्तिला की सचचाई के बारे में जांच।
- 151. संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी।
- 129. सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना।

आर्म्स एक्ट, 1959

धारा

3. अग्न्यायुधों और गोलाबारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति ।
4. कतिपय दशाओं में विनिर्मित वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति ।
5. आयुधों और गोलाबारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति ।
6. गनों के नाल के छोटा किये जाने या नकली अग्न्यायुधों के अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति ।

7. प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध।
8. जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह नहीं, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध।
9. तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध।
10. आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति।
17. अनुज्ञप्तियों में फेरफार, उनका निलम्बन और प्रतिसंहरण।

शक्तियां और प्रक्रिया

19. अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति।
20. संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध, आदि का प्रवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी।
21. कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुध आदि का निक्षेप।
22. मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण।
23. आयुध आदि के लिए जलयानों, यानों आदि की तलाशी।
24. केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और निरोध।
- 24A विक्षुब्ध क्षेत्रों में अधिसूचित आयुधों के कब्जे के बारे में प्रतिषेध।
- 24B विक्षुब्ध क्षेत्रों में के सार्वजनिक स्थानों में या उनमे से होकर अधिसूचित आयुध लेकर चलने के बारे में प्रतिषेध।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

धारा-

177. अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपलब्ध ।
179. आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इनकार करना ।
180. अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना ।
181. धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना ।
183. अत्यधिक गति आदि से चलाना ।
184. खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना ।
185. किसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाना ।
186. मोटरयान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना ।
187. दुर्घटना संबंधी अपराधों के लिए दण्ड ।
188. कुछ अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड ।
190. असुरक्षित असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना ।
192. रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग ।

- 192 ए परमिट के बिना यान का उपयोग ।
194. अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले वाहन को चलाना ।
196. बीमा न किए गये यान का चलाना ।
197. प्राधिकारी के बिना यान से जाना ।
200. कतिपय अपराधों का शमन ।
201. यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति।
202. वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति।
203. श्वास परीक्षण ।
205. मोटरयान चलाने की अयोग्यता की अपधारणा ।
206. पुलिस अधिकारी की दस्तावेज करने की शक्ति।
- 207 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट आदि के बिना उपयोग किए गये यानों के निरुद्ध करने की शक्ति ।

विशेष और स्थानीय अधिनियम।

- पुलिस अधिनियम
- असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम से संबंधित कानून।
- शोर नियंत्रण से संबंधित कानून।
- राज्य के आबकारी से संबंधित कानून
- संपत्ति के क्षरण से संबंधित कानून
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव से संबंधित कानून

All The Best

&

JAI HIND

ajayaswal2002@yahoo.com

Mob: 9413332400